HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2416/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 2340/2025

Ajab Singh Son Of Shri Hari Singh, Aged About 33 Years, Resident Of Chamandpura, Police Station, Masalpur, District Karauli (Rajasthan). (Presently Confined In Central Jail, Sevar, District Bharatpur)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta with Mr. Heramb Saraswat Ms. Chanchal Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

16/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–सैशन न्यायाधीश, करौली(राज.) द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**16/2021 राजस्थान राज्य** बनाम **राजपाल व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **18.08.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। विचारण के दौरान वह जमानत पर आजाद रहा है तथा निर्णय की दिनांक 18.08.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में सह अभियुक्तगण राजपाल एवं विरमाल के सजा स्थगन प्रार्थनापत्र पूर्व में ही समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से लाठी बरामद की गई है, जबकि उस पर गंडासी से चोट मारने के आरोप हैं, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त साक्ष्य का समग्रता एवं सही रूप से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। पत्रावली पर अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं के बावजूद भी उसे दोषसिद्ध किया गया है। अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ एवं पर्याप्त आधार हैं। अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.08.2025 से लगातार अभिरक्षा में है, प्रकरण में सहअभियुक्तगण के सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जा चुके हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **16.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **अजब सिंह पुत्र श्री हरीसिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /46